अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हीरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 251/2023 (दूदू)

| | | |
|---|---|---|
| | श्री महेन्द्रसिंह चौहान एड्वोकेट | |
| 07.08.2023 | हीरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरह (251/2023)<br><br>यह अपील श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड्वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 42/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया।<br><br>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस द्वारा पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.1995 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी की किस्म चारागाह को दुरूस्त किया जाकर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस को खातेदार काश्तकार घोषित कर असल रेस्पोडेन्टस को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं करने का आदेश प्रदान कर दिया गया था तथा उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई थी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.07.2002 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.1995 को यथावत् रखें जाने का आदेश प्रदान किया गया था तथा उक्त आदेश के विरूद्ध मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत होने पर उसे स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रति प्रेषित किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। इस प्रकार से मूल वाद का निर्णय हो जाने पर प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी निर्णित कर दी गयी थी। इस प्रकार से अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस के पास विवादित आराजीयात बाबत् पुनःधारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किए जाने का अधिकार शेष था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.08.2023 को खारिज कर दिया, जिससे मान्नीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। विवादित आराजीयात को राजस्व कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी रूप से चारागाह दर्ज कर दी गई जिसका आड़ में अप्रार्थीगण एवं उनके अधिकारी व कर्मचारीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है जिन्हे दौराने वाद पाबंद किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर कानूनी रूप से प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने एवं प्रार्थी कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वादग्रस्त | |

लगातार

अजं अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हीरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 251/2023 (दूदू)

आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने अस अप्रार्थीगण एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला अपील पाबदं फरमाया जावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र, अपील मीमो एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस द्वारा पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.1995 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी की किस्म चारागाह को दुरूस्त किया जाकर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस को खातेदार काश्तकार घोषित कर असल रेस्पोडेन्टस को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं करने का आदेश प्रदान कर दिया गया था। विवादित आराजी को आगे से आगे बैंचान, रहन व स्थानान्तरण नहीं करने करते हुए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है। प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है, इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर,(फास्ट ट्रेक), दूदू को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अपीलांटस/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2023 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में आदेश पारित किये जाने पर न्यायालय हाजा के आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर